-:निर्णय:-

दिनांक :- 17.10.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये विद्व अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि चक 39 एसएसडब्लयू खाता सख्या 62/45 जमाबंदी सम्वत 2076-2079 की 14.674 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीया की माता सुखदेव कौर के नाम 1223/7337 हिस्सा दर्ज है। भूमि का विवरण निम्नलिखित है - चक 39 एसएसडब्लयू, पत्थर नम्बर 80/314 (42) किला नम्बर 1, 10, 11, पत्थर नम्बर 81/306 (11) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 21 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 81/307 (12) किला नम्बर 1/.253 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 81/308 (19) किला नम्बर 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7 ता 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 81/309 (20) किला नम्बर 1 ता 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 7 ता 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 24, 25/1/.228, 25/2/.025 हैक्टेयर कुल तादादी 14.674 हैक्टेयर कृषि भूमि। प्रति जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित 14.674 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थीया की माता सुखदेव कौर के नाम 1223/7337 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीया की माता सुखदेव कौर फौत हो चुकी है जिसके जायज व कानूनी वारिसान प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 है। प्रार्थीया की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5-1/5 का हक व हिस्सा है। प्रार्थीया इस आशय की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी व दावेदार है कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5-1/5 हिस्सा के खातेदार है तथा इसी कदर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज होने से प्रार्थीया का अन्य सह खातेदारान के साथ सीव, बट व रकमराज को लेकर विवाद रहता है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि की मुताबिक घोषणा अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए खाता विभाजन अलग कायम करवाने की अधिकारिणी है।

यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4, प्रार्थीया की माता के नाम दर्ज कृषि भूमि को अकेले अपने नाम दर्ज करवाने को प्रयासरत है। जबकि अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 को उपरोक्त कृषि भूमि को अकेले अपने नाम दर्ज करवाने का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि संयुक्त खाता में होने का नाजायज फायदा उठते हुए अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को बिना विधिक विभाजन करवाए अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल करने को कटिबद्व है। अभिकथित रूप से खरीददार जो कि अनजबी क्रेता होगा वह अच्छी अच्छी भूमि पर काबिज हो जायेगा जिससे वादी की बहूलता बढेगी व

ार्थीया को अपरिमेय क्षति होगी। अप्रार्थीगण को यह कतई अधिकार नही है कि वे बिना विभाजन करवाए अच्छी अच्छी कृषि भूमि का कब्जा अजनबी क्रेता को सौपे। उक्त परिस्थतियों में प्रार्थीया विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि को बिना विभाजन करवाए अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

यह है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि को बिना विभाजन करवाए अन्य व्यक्तियो को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे, आदि आदि तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश का अनुतोष याचित किया गया।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. 8, 11, 12, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह उपस्थित व अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन मात्र वाद-पत्र प्रस्तुत करने की हद तक स्वीकार है लेकिन वाद-पत्र में प्रार्थीया को कामयाबी की कोई आशा नही है।

यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज सजरा खानदान ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है, जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में दर्ज तथ्य ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा अपनी माता सुखदेव कौर के वारिस प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 होने के कथन करते हुए सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी की घोषणा बाबत अनुतोष याचित किया है। प्रार्थीया की माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी से हम अप्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 5 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढत होने के कारण अस्वीकार है। हम अप्रार्थीगण चक 39 एसएसडब्ल्यू, खाता सख्या 52/45 के सह खातेदार है। हम अप्रार्थीगण अपने नाम राजस्व अभिलेख में आराजी दर्ज होने के कारण खातेदार काश्तकार है जो अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज आराजी का माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर हम अप्रार्थीगण अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज आराजी का खाता तक्सीम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 6 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढत होने के कारण अस्वीकार है।

यह है कि हम अप्रार्थीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी को किसी भी प्रकार से उपभोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थीया द्वारा हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी है।

यह है कि प्रार्थीया, हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है तथा ना ही हम अप्रार्थीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का घोषणा का अनुतोष प्रार्थीया द्वारा याचित किया गया है। मात्र सह खातेदार होने के कारण हम अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता। स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए हम अप्रार्थीगण अपने आधिपत्य व धारण की आराजी का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने तथा वितीय संस्था से वितीय सुविधा तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ से वचित हो रहे है, यदि स्थगन आदेश प्रभावी रहता है तो हम अप्रार्थीगण अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने तथा वितीय संस्था से वितीय सुविधा तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ व

आवश्यकता अनुसार रहन, बैय आदि की सुविधा प्राप्त करने से वंचित हो जायेगे, जिस कारण हम अप्रार्थीगण को भारी परेशानीयों का सामना करना पडेगा।

यह है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष मे नही होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीया, हम अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त करने की अधिकारी नही है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

इस प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते है:-

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी माता सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा आराजी में घोषणा व खाता विभाजन बाबत अनुतोष याचित किया है, शेष अप्रार्थीगण को मात्र सह खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की घोषणा का अनुतोष याचित नही किया गया है। खातेदार सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी के अलावा अन्य सह खातेदारान/अप्रार्थीगण को बिना किसी औचित्य के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला का बिन्दू अप्रार्थीगण 5 ता 18 के पक्ष में निर्णित किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण अभिलिखित काश्तकार है तथा अभिलिखित काश्तकार की हैसियत से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के हक में सिद्ध नहीं होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u>

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम सुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थी द्वारा अपना वाद पत्र सुखदेव कौर के नाम दर्ज आराजी की घोषणा व खाता विभाजन बाबत प्रस्तुत किया है तथा अगर अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडेगा, अगर अस्थाई निषेधाज्ञा को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी किया जाता है तो प्रार्थी की बजाय अप्रार्थीगण सं. 5 ता 18 को अत्यधिक असुविधा होगी इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी अप्रार्थीगण सं. 5 ता 18 के पक्ष में निर्णित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के खिलाफ यदि स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थीगण खातेदारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग से वंचित हो सकते है। न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थीगण सं. 5 ता 18 को असुविधा हो सकती है।

<u>अपूर्णनीय क्षति</u>

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी शतात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

खातेदार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी में स्थगन प्रभावी होने की स्थिति में अप्रार्थीगण को क्षति हो सकती है तथा अपने हिस्से/आराजी के उपयोग व उपभोग करने क्षति हो सकती है। प्रार्थी

अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आवश्यक बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा का संतुलन को साबित करने में असफल रहा है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश दिनांक 25.06.2024 को संसोधित करते हुए चक नम्बर 39 एसएसडब्लयू, खाता संख्या 62/45 में दर्ज 14.674 हैक्टेयर में मात्र खातेदार सुखदेव कौर के नाम दर्ज 1223/7337 हिस्सा की हद तक ता-फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। शेष खाता तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 के विरूद्व जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2024 तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 5 ता 18 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ